

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV)

कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत-रामगढ़, सोनहत-मोहरसोप, पथरगवां-कटगोड़ी, महेशपुर- लोटाबहरा, रोझी-शिवपुर, नेरुवा-भरतपुर, चरचा- सोनहत, बरबसपुर- शिवपुर, चोटिया- बहेराबंध, नागपुर- चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़- मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.707 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.400 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.202 हेक्टेयर कुल 3.309 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।


वन मण्डलाधिकारी
कोरिया वन मण्डल, बैकुण्ठपुर
श्रीमती प्रभाकर खल्लो
(भा. डा. मे.)


(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/146529/2021

1	परियोजना विवरण	
i	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण	कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत-रामगढ़, सोनहत-मोहरसोप, पथरगवां-कटगोड़ी, महेशपुर-लोटाबहरा, रोझी-शिवपुर, नेरुवा- भरतपुर, चरचा-सोनहत, बरबसपुर-शिवपुर, चोटिया-बहेराबंध, नागपुर-चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़- मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.707 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.400 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.202 हेक्टेयर कुल 3.309 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिए जाने की मांग की जाती है । इस कार्य से सोनहत, खडगवां, भरतपुर एवं बैकुण्ठपुर विकासखण्ड अंतर्गत स्थित लगभग 50 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
ii	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है ।
iii	परियोजना की कुल लागत	390 लाख रुपये
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।	कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत-रामगढ़, सोनहत-मोहरसोप, पथरगवां-कटगोड़ी, महेशपुर-लोटाबहरा, रोझी-शिवपुर, नेरुवा- भरतपुर, चरचा-सोनहत, बरबसपुर-

		शिवपुर, चोटिया-बहेराबंघ, नागपुर-चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़- मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फाईबर केबल बिछाने के कार्य में मांग की जा रही वन भूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत है तथा मांग की गई भूमि न्यूनतम है। किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ(संलग्न किए जाने के लिए)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक/7-9/2011-FC (Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में आवश्यकता नहीं है ।
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	सोनहत, खडगवां, भरतपुर एवं बैकुण्ठपुर विकासखण्ड अंतर्गत स्थित लगभग 50 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 35000 लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही 1500 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा 200-250 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होंगे
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सड़क समानांतर राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 3.309 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।	वन भूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं वन भूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
i	परिवारों की संख्या	निरंक
ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	चूँकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जानकारी निरंक है ।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के

	अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आवश्यक नहीं है ।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाए)	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत है, अतएव पृथक से वनभूमि डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है । अतएव पुनः वनीकरण की वचनबद्धता आवश्यक नहीं है ।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है ।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत सड़क किनारे (Road) में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने बावत।
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	कोरिया
iii	वन प्रभाग	कोरिया वनमण्डल कोरिया, परिक्षेत्र-बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां, सोनहत एवं कोटाडोल
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	कोरिया वनमण्डल - 3.309 हे. संरक्षित वन - 1.400 हे. आरक्षित वन - 1.707 हे. राजस्व वन - 0.202 हे.
v	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वनभूमि
vi	हरियाली का घनत्व	>0.5
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.आर.एल-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रकरण में सड़क के सामानांतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जावेगी, किसी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।
viii	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां एवं सोनहत में स्थल सड़क के सामानांतर भूमि होने के कारण मृदा भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां एवं सोनहत एवं कोटाडोल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही भाग है
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां) अनुबंधित की जाये)	नहीं

(xi)	क्या क्षेत्रा में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें हैं।	नहीं हैं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रा की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
12	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	7122.757 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	4985.347 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	32 प्रकरण 1848.591 हे. (725.350 हे. भू-सतह उपयोग एवं 1123.241 हे. अण्डर ग्राउण्ड)
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	1863.914 हेक्टेयर निरंक
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :- (क) वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर।	1863.914 हेक्टेयर निरंक
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	परियोजना में मात्र 3.309 हे. प्रस्तावित स्थल सड़क के समानांतर भूमि में OFC लाइन से संबंधित है एवं किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई नहीं होगी तथा परियोजना हेतु अन्य विकल्पों का पता लगा लिये गया है। मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। अतः उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति शर्तों के तहत प्रदाय करने की अनुशंसा की जानी है

दिनांक :- 05-12-2022

स्थान :- बैकुण्ठपुर

श्रीमती प्रभाकर खलखो
भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

PART - III**(to be filled by the concerned Conservator of Forests)**

14	Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by consarned Conservator of forest (Yes/No). If yes, the date of inspection & observations made in form of to be enclosed.	"NO"
15	Whether the concerned Conservator of forest agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of forests.	Agree with the information given in Jio Digital Fiber Private Ltd. and the recommendations of DFO Korea hence the proposal is recommended for acceptance.
16	Specific recommendation of concerned Conservator of forest for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	All the gram panchayat will be digitized by connecting the subordinate gram panchayats of Sonhat Baikunthpur, Khadgawan & Bharatpur block under korea forest division area to the panchayat of the villagers will be edited at a rapid pace and smoothly.

Date :-
Place :-

Signature
Name
Official Seal

PART - IV

(to be filled by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17	<u>Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks</u> (While giving opinion, the adverse comment made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forest should be categorically reviewed and critically commented upon).	
----	--	--

Date :-
Place :-

Signature
Name
Official Seal